

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

08-12-17

पीठाधीनता पदाधिकारी अन्य कार्य में
अस्त। दिनांक 18-12-17 को शुरू।

18-12-17

आभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल
अनुपस्थापित द्वितीय पल अधिवक्ता द्वारा।
उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित
हो गया है। अतः वाद में आभिलेख
की कारवाही बन्द की जाती है।

f
18/12/17